# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607


क्रमांक : 4464/अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 27 /09/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '91वॉं' बैठक शुक्रवार दिनांक 27.09.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

**डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पुरन्दर मिश्रा | – सदस्य | 8. | डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे | – सदस्य |
| 2. | श्री मोतीलाल साहू | – सदस्य | 9. | डॉ. रोहिणी प्रसाद | – सदस्य |
| 3. | श्री गुरु खुशवंत साहेब | – सदस्य | 10. | डॉ. कल्लोल कुमार घोष | – सदस्य |
| 4. | श्री रोहित साहू | – सदस्य | 11. | डॉ. मनोज कुमार मिश्रा | – सदस्य |
| 5. | डॉ. राजीव चौधरी | – सदस्य | 12. | डॉ. मेघेश तिवारी (Online) | – सदस्य |
| 6. | डॉ. संजय जे. डहरवाल | – सदस्य | 13. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online) | – सदस्य |
| 7. | डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज | – सदस्य | 14. | श्री कृष्णकान्त खरान्शु | – सदस्य |

**डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव**

<u>अनुपस्थित सदस्य–</u> डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स, डॉ. गिरीश चंदेल, डॉ. बिजयानंद सिंह, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा

## <u>कार्यवृत्त</u>

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.08.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।**

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

2. बजट 2024–25 E. Directorate of Physical Education 6 Equipments/Computer/other Machine मद में प्रावधानित राशि रु. 1.00 लाख में से राशि रु. 0.50 लाख E. Directorate of Physical Education 5 prizes for winner & runner i) I/U & Zone wise tounament ii) All India I.U. tournament मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

3. श्री बोधन प्रसाद यादव, दफ्तरी, कुलपति सचिवालय के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,66,043.00 (रुपए सात लाख छैंसठ हजार तिरालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. डॉ. निनाद बोधनकर, प्रोफेसर, भू–विज्ञान अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान के संबंध में प्राप्त आवेदन दिनांक 08.08.2024 द्वारा पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 35,00,000.00 (रुपए पैंतीस लाख मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S Bharati Chemical and Scientific works, Kolkata से खरीदे गए उपकरण BET Surface Area Analyzer की कुल राशि रु. 77,96,526=00 (रु. सतहत्तर लाख छियानबे हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

## पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

**निर्णयः कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 10, बिन्दु क्रमांक 21, अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 1 एवं 2 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के वेतन अंतर की छठवें एवं अंतिम किस्त के रूप में माह फरवरी–2018 से जून–2018 तक के एरियर्स राशि रु. 11,10,649.00 (रुपए ग्यारह लाख दस हजार छः सौ उनचास मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

**निर्णयः छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 15/2024 के क्रमांक 1766/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11.06.2024 को अंगीकृत कर भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार शिक्षकों/ग्रंथपाल/संचालक शारीरिक शिक्षा एवं स्टॉफ मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के शिक्षकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः उपरोक्तानुक्रम में कुल एरियर्स की राशि रु. 1,18,20,384=00 (रुपए एक करोड़ अट्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. बजट 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः 1. B. Engineering Unit 2 (e) मद में प्रावधानित राशि रू. 400.00 लाख में से राशि रू. 100.00 लाख F- Examination and Evaluation Administration 2. (c) मद में पुर्नविनियोजित किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

5. डॉ. राधा पाण्डे, पति स्व. डॉ. अमरकांत पांडे (प्राध्यापक अर्थशास्त्र) भैषजिक प्रतिपूर्ति एवं सातवे वेतनमान एरियर्स भुगतान के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः डॉ. राधा पाण्डे, पति स्व. डॉ. अमरकांत पांडे (प्राध्यापक अर्थशास्त्र) के भैषजिक प्रतिपूर्ति प्रकरण के संदर्भ में कुलसचिव ने कार्यपरिषद् को अवगत कराया कि सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि के भुगतान संबंधित प्रकरण पर संबंधित को राशि रुपए 3,62,994.00 (रुपए तीन लाख बैसठ हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) का दिनांक 24.09.2024 को भुगतान किया जा चुका है। भैषजिक प्रतिपूर्ति के प्रकरण पर विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित पत्रावली पर निम्नांकित टीप का अंकन किया गया है –**

i. उचित प्रमाणीकरण और सत्यापन हेतु सभी मेडिकल बिल्स, चिकित्सीय Supporting प्रिस्क्रिप्शन के साथ एवं समस्त Invoices, औषधि विनियामक द्वारा मान्य format में ड्रग लाइसेंस एंव GST नंबर के साथ, चिकित्सीय प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत प्रस्तुत करें।

ii. सभी बिल्स, उपचारकर्ता चिकित्सक से VARIFIED, SEALED और प्रतिहस्ताक्षारित होना अनिवार्य है।

iii. हर अलग–अलग हॉस्पिटल के bills अलग–अलग चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्र में चिकित्सीय अनुशंसा (प्रिस्क्रिप्शन), चिकित्सीय प्रतिहस्ताक्षर उपरांत, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iv. सभी मेडिकल बिल्स डॉक्टर के VALID प्रिस्क्रिप्शन (चिकित्सीय अनुशंसा) से SUPPORTED होना चाहिए, बिना PRESCRIPTION मेडिसिन के bills सत्यापित नहीं किये जा सकते।

v. समस्त क्लेम किये गए Investigations bill के साथ Investigations रिपोर्ट्स संलग्न करें।

विश्वविद्यालय विनियम संख्या 34 (ई.सी. 19.02.77) के कंडिका 02 के अनुसार सभी चिकित्सा पुनर्खरीद बिलों पर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने का प्रावधान है एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 5415/सा. प्रशा./89, रायपुर दिनांक 23.12.89 एवं अधिसूचना कमांक 256/सा. प्रशा./89, रायपुर दिनांक 19 जनवरी 89 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्हें भैषजिक प्रतिपूर्ति की पात्रता है, को प्रतिपूर्ति सुविधा के संदर्भ में सत्यापन हेतु वि.वि. स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक को अधिकृत किया गया है।

उक्त बिन्दुओं एवं विश्वविद्यालय के विनियम के अनुक्रम में कुल चार देयकों का सकल राशि रू. 14,32,302 (रू. 60818+15465+208818+1147201= 14,32,302=00) (चौदह लाख बत्तीस हजार तीन सौ दो मात्र) संलग्न है, जो कि सी.एम.ओ. द्वारा सत्यापित बिल अथवा देयक नहीं है, जिसे संबंधित को सूचित किया जा चुका है तथा प्रस्तुत अन्य देयक में से नियमानुसार राशि 93,062.00 (रुपए तिरानबे हजार बैसठ मात्र) दिनांक 16.06.2022 को भुगतान किया जा चुका है।

सर्वसम्मति से कार्यपरिषद् के सदस्यों ने निर्णय लिया कि नियमानुसार अधिसूचित पत्र एवं संस्थित नियमावली अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के बिना भैषजिक प्रतिपूर्ति दिया जाना संभव नहीं है। अतः नियमानुसार मात्र मान्य बिलों को भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. डॉ. श्रीमती अदिती पोद्दार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 17,94,622.00 (रुपए सत्रह लाख चौरनबे हजार छः सौ बाईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों हिन्दी–07, पर्यावरण विज्ञान–04, प्रबंधन(Tourism)–01, माइक्रोबायलॉजी–01, बायोकेमेस्ट्री–01 अंग्रेजी–01, गणित (Cryptography) –01 भौतिकी (Space Physics/Astronomy)–01 हेतु उल्लेखित शैक्षणिक पदों की निरंतरता तथा सापेक्षिक वचनबद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 3117/5453/2014/38–2 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा इस विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्ययनशाला की स्थापना हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी द्वारा स्वीकृत <u>7 शिक्षकीय पदों</u> हेतु योजना अवधि समाप्ति उपरांत व्यय वहन की वचनबद्धता विभाग के प्रशासकीय स्वीकृति की शर्त "कि यदि 05 वर्षों के उपरांत किसी भी प्रकार के वित्तीय कारणों से राज्य शासन वित्तीय व्ययभार वहन करने की स्थिति में नहीं होगी, तो विश्वविद्यालय इन पदों का वित्तीय व्ययभार वहन करेगा" पर प्रदान की गयी है।

**तत्संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्ययनशाला के शासन द्वारा उपरोक्त सृजित पद योजना अवधि की समाप्ति के उपरांत भी निरंतरता की स्थिति में हैं।**

**अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3–9/2017/38–2 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों {पर्यावरण विज्ञान–04, प्रबंधन(Tourism)–01, माइक्रोबायलॉजी–01, बायोकेमेस्ट्री–01 अंग्रेजी–01, गणित (Cryptography)–01 भौतिकी (Space Physics/Astronomy)–01} के लिए कुल 10 शैक्षणिक पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की गयी है कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा।**

**तत्संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय में उपरोक्त विषयों के लिए शासन द्वारा सृजित पद योजना अवधि की समाप्ति के उपरांत भी निरंतरता की स्थिति में हैं।**

**उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय में निरंतरता के साथ संचालित विषयों हिन्दी–07, पर्यावरण विज्ञान–04, प्रबंधन (Tourism)–01, माइक्रोबायलॉजी–01, बायोकेमेस्ट्री–01 अंग्रेजी–01, गणित (Cryptography) –01 भौतिकी (Space Physics/Astronomy)–01 हेतु उल्लेखित शैक्षणिक पदों के संबंध में शासन के संदर्भित निर्देशों को अंगीकृत करते हुए संबंधित पदों की निरंतरता तथा सापेक्षिक वचनबद्धता का अनुमोदन किया गया।**

8. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.08.2024 के पूरक विषय सूची 05 पर लिए गए निर्णय के बिन्दु क्रमांक (2) (ii) में पुनः विचार किये जाने के संबंध में प्रस्तुत।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों की भर्ती/नियुक्ति के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.08.2024 के पूरक विषय सूची 05 पर लिए गए निर्णय के बिन्दु क्रमांक (2)(ii) के अनुसार "यदि पूर्व आवेदक अपने आवेदन में केवल शैक्षणिक उन्नयन से संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना चाहते हैं तो उसे निःशुल्क संलग्न करने की अनुमति प्रदान की गई।" के स्थान पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि "जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन क्र. 3916/Estb./Gen./Adm/2023 dated 06.09.2023 में आवेदन किया है और अपने शैक्षणिक उन्नयन से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना चाहते है, उन्हें सभी आवश्यक व अपग्रेड किये गये अनुलग्नकों के साथ नया आवेदन पुनः जमा करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जायेंगी।"**

9. डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं, श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से प्राप्त बंद लिफाफा खोलने एवं विधिक अभिमत पर विचार करने बाबत्।

निर्णयः **डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद् के सदस्यों को पूरे प्रकरण से संबंधित पृष्ठभूमि सहित सुसंगत जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात् कार्यपरिषद् की बैठक में प्रथम बार सम्मिलित सदस्यगणों (माननीय विधायक गण) के अनुरोध पर कार्यपरिषद् के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्राप्त बंद लिफाफा एवं विधिक अभिमत आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

11. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की अस्थाई मान्यता को स्थाईकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

12. शास. दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर को मनोविज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

13. दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण–पदक के लिए निर्धारित राशि में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्वर्ण–पदक के लिए निर्धारित प्रायोजक धनराशि को रु. 5,00,000=00 (रुपए पाँच लाख मात्र) किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

<u>परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

14. शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पत्र क्रमांक BCI-LE/138/2020 (Circular-003) के स्थान पर BCI-LE/138/2024 (Circular-003) संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

15. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 18.09.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णयः अनुमोदन किया गया।**

<u>पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

16. परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को रु. 5,50,000/– (रु. पाँच लाख पचास हजार मात्र) का ग्रंथालय अनुदान पत्र क्रमांक 02012/45/2023/NBHM/LG/R&D-II/3567 datet 17 March 2023 द्वारा प्रदान किए गये निधि से क्रय की गयी पुस्तकों का देयक कुल रु. 5,29,758/– (रु. पाँच लाख उनतीस हजार सात सौ अनठावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. वर्ष 2024 की सेमेस्टर परीक्षा (सेमेस्टर परीक्षा मई–जून, 2024 एवं पूरक परीक्षा अगस्त–सितम्बर, 2024) के गोपनीय मुद्रण राशि रु. 96,16,056=00 (छियानबे लाख सोलह हजार छप्पन रूपए मात्र) के भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>फार्मेसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

18. फार्मेसी संस्थान मे Permanent / Adhoc Veterinarian की नियुक्ति किये जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः फार्मेसी संस्थान के वर्तमान (Self finance) Teaching setup में से एक पद के सापेक्ष अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत Visiting Veterinarian नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे प्रत्येक Visit के लिए मानदेय 2500/– (रुपए दो हजार पाँच सौ मात्र) प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।**

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

19. डॉ. हेमलता बोरकर वासनिक, परियोजना अन्वेषक ICSSR-MRP को अग्रिम राशि रुपए 5,60,000. 00 (रुपए पाँच लाख साठ हजार मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

20. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S SWAN Environmental Private Limited, Hyderabad, Telangana से खरीदे गए उपकरण GC Based Portable BTEX Analyzer की राशि रु. 24,63,807=70 (रुपए चौबीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ सात और सत्तर पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

21. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE / 2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म Biologic Science Instruments Pvt Ltd. Thane, Maharashtra से खरीदे गए उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) की राशि रुपए 5,90,000=00 (रु. पाँच लाख नब्बे हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

22. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S Duttco Instruments, Howrah, W.B. से खरीदे गए उपकरण Steady State Fluorescence Spectrophotometer & accessories d lab prerequisites की राशि रुपए 7,25,700=00 (रु. सात लाख पच्चीस हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

23. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S SWAN Environmental Private Limited] Hyderabad, Telangana से खरीदे गए उपकरण Total VOCs PID Sensing Monitors की राशि रु. 9,94,398 00 (रु. नौ लाख चौरानबे हजार तीन सौ अट्ठानवे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

24. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project; SR/PURSE /2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म M/S Nucleonix Systems Private Limited, Hyderabad से क्रय किये गए उपकरण TL OSL Reader equipment की राशि रुपए 29,96,020=00 (रु. उनतीस लाख छियानवे हजार बीस और शून्य पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

## सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

25. शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति के बाह्य सदस्यों के मानदेय 4000/– (अक्षरी– चार हजार रू.) एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वरिष्ठता अनुसार स्तरोनयन/अकादमिक लेवल परिवर्तन के लिए स्क्रीनिंग हेतु आने वाले विषय विशेषज्ञों के मानदेय 3000/– (अक्षरी– तीन हजार रू.) किए जाने संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

26. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु संबंधित शिक्षकों के दस महत्वपूर्ण शोध प्रकाशनों का विवरण, जिसमें से तीन शोध पत्र Asessment अवधि में प्रकाशित हो, के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन समिति के सदस्यों को पी–एच.डी. मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदेय के समकक्ष 2500/– (अक्षरी– दो हजार पांच सौ रू.) मानदेय किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।**

27. Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में 03 बंद लिफाफों को खोले जाने बाबत्।

निर्णयः **कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में बंद लिफाफों को खोला गया –**

| S. No. | Name of Candidate | Current Academic Level | Recommended Academic Level | Date of Screening-Cum-Evaluation Committee Meeting | Date of Eligibity (w.e.f.) | SoS/ Department |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Deependra Singh | Asst. Professor AL-12 | Associate Professor AL-13A | 23.08.2024 | 22.12.2020 | Pharmacy |
| 2. | Dr. Nand Kumar Chakradhari | Asst. Professor AL-12 | Associate Professor AL-13A | 14.09.2024 | 12.05.2022 | Physics & Astro Physics |
| 3. | Mr. Chitrakant Delodhiya | Asst. Professor AL-10 | Asst. Professor AL-11 | 14.09.2024 | 23.02.2023 | Physics & Astro Physics |

**"Screening-Cum-Evaluation Committee" की संस्तुतियों के आधार पर उपर्युक्त सहायक प्राध्यापकों का स्तरोन्नयन किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

## अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

28. शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर को मनोविज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 के बिंदु क्रमांक 10 में चार वर्षीय Bachelor of Physical Education & Sports (BPES) पाठ्यक्रम के नवीन अध्यादेश क्रमांक 211 की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णयः चार वर्षीय Bachelor of Physical Education & Sports (BPES) पाठ्यक्रम के नवीन अध्यादेश क्रमांक– 211 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 के बिंदु क्रमांक 21 में Policy for Professor of Practice in Pt. Ravishankar University (Based on National Education Polity 2020) विनियम क्रमांक 213 के अनुक्रम में समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला के अंतर्गत पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव को छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बिरहोर जनजाति के सामाजिक शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर 15 वर्ष से भी अधिक समय से किये जा रहे योगदान को ध्यान में रखते हुए, Professor of Practice के रूप में अवसर दिये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णयः अनुमोदन किया गया।**

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 1 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न अध्ययनशालाओं तथा विषयों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के शासन द्वारा स्वीकृत पद (कॉलम A) तथा UGC मानक को परिपूर्ण किए जाने हेतु विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों के संख्या की गणना (कॉलम B) निम्नलिखित है –

| | | A | | | B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | SOS/SUBJECT | CURRENT POSITIONS | | | REQUIRED TO FULLFILL UGC NORMS | | |
| | | PROF | ASSO PRO | ASST PRO | PROF | ASSO. PRO | ASSIST. PRO |
| 1 | PSYCHOLOGY | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | HISTORY | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | STATISTICS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | COMPUTER SCIENCE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GEOLOGY | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | REGIONAL STUDIES AND RESEARCH CENTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | LIBRARY SCIENCE | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | COMPARATIVE RELIGION, PHILOSOPHY AND YOGA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ANCIENT INDIAN HISTORY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | BIOTECHNOLOGY | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | LAW | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | PHYSICAL EDUCATION | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | MICROBIOLOGY | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | BIOCHEMISTRY | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | PHARMACY | 17 POST ASSISTANT PROFESSOR (SELF FINANCE) | | | | | |

उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु विद्या परिषद् की स्थायी समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णयः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को औचित्य के साथ पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।**

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 2 में CAS (Carrier Advancement Scheme) के अंतर्गत विभिन्न विषयों के सह–प्राध्यापक से प्राध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु Evaluation Report को विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों से कराया जाना है। विषय निम्नलिखित है –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कम्प्यूटर साइंस | 5. | रसायन |
| 2. | प्रबंधन | 6. | साहित्य एवं भाषा |
| 3. | जैव प्रौद्योगिकी | 7. | ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान |
| 4. | फार्मेसी | 8. | समाजशास्त्र |

उपर्युक्त विषय विशेषज्ञों के पैनल की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णयः उपर्युक्त 8 विषयों के Evaluation Report हेतु विशेषज्ञों के पैनल के सदंर्भ में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2024 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

**धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।**

27/9/24      27/9/24

**कुलपति**      **कुलसचिव**
अध्यक्ष      सचिव

**पृ.क्रमांक : 4465 /अका./का.प/2024**      **रायपुर, दिनांक 27 /09 /2024**

**प्रतिलिपि :–**

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**उप–कुलसचिव (अका.)**